संख्या- /2016/ /पाँच-6-16-76(जी.)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2016

विषय:- प्रदेश के नवनिर्मित 08 ट्रामा सेन्टरों की स्थापना/संचालन के लिये उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय के लिये अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत 06 उपकरणों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/भण्डार/2134, दिनांक 18.07.2016 व शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाँच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31.08.15 द्वारा प्रदेश के नवनिर्मित 08 ट्रामा सेन्टरों (कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव व सुल्तानपुर) की स्थापना/संचालन के लिये अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत कुल रू0-35,99,20,800.00 (रूपया पैंतीस करोड़ निन्यानबे लाख बीस हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसमें संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 06 उपकरणों की स्वीकृति भी सम्मिलित है।

2- संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित 06 उपकरणों के क्रय के लिये उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशक (भण्डार) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संलग्न तालिका के कालम-7 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0-3,27,77,560.00 (रूपया तीन करोड़ सत्ताईस लाख सत्तहत्तर हजार पाँच सौ साठ मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं संलग्न तालिका के कालम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार मूल लागत व पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की कुल धनराशि रू0-96,12,760.00 (रूपया छियानबे लाख बारह हजार सात सौ साठ मात्र) तथा की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाँच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0ए0एल0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा ।

(6) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(7) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा ।

(8) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(9) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें -26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-272/2016/1880 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) संबंधित जिलाधिकारी।

(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।

(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

(7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

(8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।

(10) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

(11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

(12) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-272/2016/1880/पाँच-6-16-76(जी.)/15 तददिनांक 03 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र.सं	उपकरण का नाम	कुल प्रस्तावित उपकरणों की संख्या	अनुमानित लागत प्रति उपकरण	शासनादेश दिनांक 31.08.15 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित प्रति उपकरण लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	अन्तर की कुल धनराशि (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**आई.सी.यू.बेड**	40	34200.00	1368000.00	63000.00	2520000.00	1152000.00 (व्ययाधिक्य)
2	**जनरल ट्रामा बेड**	40	34200.00	1368000.00	42408.00	1696320.00	328320.00 (व्ययाधिक्य)
3	जनरल आर्थोपैडिक इन्स्ट्रोमेंटस (02 सेटस)	8	171000.00	1368000.00	220500.00	1764000.00	396000.00 (व्ययाधिक्य)
4	सिरिंज इन्फयूजन पम्प	8	102600.00	820800.00	36120.00	288960.00	531840.00 (बचत)
5	मॉनीटर लार्ज स्क्रीन	40	171000.00	6840000.00	72450.00	2898000.00	3942000.00 (बचत)
6	05 बेडेड स्टेप डाउन रिकवरी यूनिट विद 03 मॉनीटर्स	40	285000.00	11400000.00	590257.00	23610280.00	12210280.00 (व्ययाधिक्य)
				23164800.00		32777560.00	**9612760.00**

(रूपया छियानबे लाख बारह हजार सात सौ साठ मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या-   /2016/   /पॉच-6-2016-5(33)/07 टी.सी.

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6   लखनऊ : दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कानपुर में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0-117.10 लाख की चालू अंश के रूप में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9071/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.07.2016 व शासनादेश संख्या-249/2016/1708/पॉच-6-16-5(33)/07टी.सी., दिनांक 29.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा जनपद कानपुर में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-4406.93 लाख की पुर्न पुनरीक्षित प्रशासनिक लागत स्वीकृति की गयी, लेकिन कुल स्वीकृत लागत का 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित कर अवशेष धनराशि रू0'-117.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार जनपद कानपुर में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-117.10 लाख (रूपया एक करोड़ सत्रह लाख दस हजार मात्र) की पुर्न पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-249/2016/1708/पॉच-6-16-5(33)/07टी.सी., दिनांक 29.09.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य है, अत: यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत् निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 274 /2016/2581 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर ।
9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर।
10-प्रबन्ध निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।
11- परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।